प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.01.23

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ बलात्कार की घटना में वांछित शेष अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.01.2023 को थाना निवाडी कमिश्नरेट गाजियाबाद (जोन ग्रामीण) पर एक नाबालिक लडकी के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार करने व तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा विडियों बनाकर वायरल कर ब्लैकमेल करने के सम्बन्ध में एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर, दिनांक 25.01.2023 को तीन नामजद अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसमें वांछित शेष अभियुक्त को आज दिनांक 26.01.2023 को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ पर मुख्य अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार की घटना की वीडियो बनाकर पैसो की मांग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देना बताया। जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम.....

थाना निवाड़ी पुलिस

थाना मसूरी पुलिस द्वारा कस्बा मसूरी से चोरी किए 8 गाटर लोहे के व रेहड़ा (रिक्शा ठेला) सहित चोर गिरफ्तार

दिनांक 25.01.2023 को थाना मसूरी पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मुखबिर की सूचना पर खालिद कबाडी की दुकान के पास गाटर को बेचते समय एक चोर निजामुद्दीन पुत्र अलाऊद्दीन उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीसागर थाना व जनपद मधुबनी बिहार हाल निवासी आयशा स्कूल के पास खाँचा रोड कस्बा मसूरी थाना मसूरी कमिश्नरेट को समय करीब रात्रि 22.50 बजे एक ट्राली रिक्शा में लदे हुए 8 अदद लोहे के गाटर सहित गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त से की गई पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा अपने साथी जमील उर्फ गोगा के साथ मिलकर दिनांक 07/11/2022 की रात में मुस्लिम ढाबा के पास सैनेट्री की दुकान की दीवार तोड़कर सामान चोरी करना बताया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स 817/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है तथा इसी क्रम मे दिनांक 24.1.23 की रात्रि मे डहर कस्बा मसूरी से लोहे के गाटर की चोरी करने की घटना को स्विकार किया गया है, जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 31/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है व दिनांक 24.1.23 की रात्रि मे वादी श्री भगवान सिंह के नवनिर्मित मकान बसन्तगढ़ी से लोहे के गाटर चोरी किये थे, जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 32/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत है , दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही तलाश

अभियुक्तगण व मुखबिरान की सूचना पर अभियुक्त के कब्जे से 8 अदद लोहे के गाटर लम्बाई करीब 12 फिट कीमती लगभग 20 हजार रूपये मु0अ0सं0 31/2023 से सम्बन्धित बरादमदगी की गई अभियुक्त द्वारा शेष चोरी किये सामान को कबाडी खालिद को बेचना बताया। मु0अ0सं0 31/22 में धारा 411 भादवि की वृद्धि करते हुये, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

निजामुद्दीन पुत्र अलाऊद्दीन निवासी ग्राम लक्ष्मीसागर थाना व जनपद मधुबनी बिहार हाल निवासी आयशा स्कूल के पास खाँचा रोड कस्बा मसूरी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद

नाम पता फरार अभियुक्तगण –

1- जमील उर्फ गोगा
2- खालिद कबाडी

बरामदगी का विवरण -

लोहे के कुल 08 अदद गाटर लम्बाई करीब 12 फुट मय एक अदद तीन पहिया रिक्शा

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

अभियुक्तगणो को विरूद्ध थाना हाजा पर चोरी को तीन अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 26.01.2023 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा दौराने चैकिंग चमन विहार पुस्ते के पास चौकी क्षेत्र विजय विहार से एक अभियुक्त नूर मौहम्मद उर्फ नूरा पुत्र मुन्ना मौजी निवासी कल्ला वाली गली नं0 6, मंगल बाजार, मिलन गार्डन थाना सोनिया विहार दिल्ली गिरफ्तार किया गया ,जिसके कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त नूर मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

नूर मौहम्मद उर्फ नूरा पुत्र मुन्ना मौजी उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी कल्ला वाली गली नं0 6, मंगल बाजार के पास मिलन गार्डन थाना सोनिया विहार, दिल्ली।

आपराधिक इतिहासः-
अभियुक्त नूर मौहम्मद उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली में 04 अभियोग लूट, 03 अभियोग चोरी व 04 अभियोग बलवा के पंजीकृत।

बरामदगी का विवरण-
फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की एक मोटर साइकिल।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-
थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन पर नीली बत्ती लगाकर व गृह मंत्रालय लिखाकर धोखाधड़ी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 26.01.2023 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गणतन्त्र दिवस के परीपेक्ष में सुरक्षा के दृष्टिगत संदिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। मेरठ की ओर से आती हुई गाड़ी संख्या UP16AJ0696 को रोककर चैक किया गया जिस पर नीली बत्ती लगी थी तथा गाड़ी के आगे पीछे गृह मंत्रालय लिखा है। गाडी सवार दो व्यक्ति 1. विशाल हरित पुत्र अजय हरित निवासी गगोल थाना परतापुर जनपद मेरठ व 2. नितिन बड़ाना पुत्र श्रीपास सिंह निवासी ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ ने पूछताछ पर बताया कि हम अपनी पहचान छिपाकर लोगों पर रोब झाड़ते हैं तथा टोल टैक्स बचाकर लाभ कमाते हैं। उक्त गाड़ी को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1- विशाल हरित पुत्र अजय हरित निवासी गगोल थाना परतापुर जनपद मेरठ।
2- नितिन बड़ाना पुत्र श्रीपास सिंह निवासी ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

पंजीकृत अभियोग की सख्याः

1. मु0अ0सं0 52/23 धारा 171,419, 420 IPC

गिरफ्तार करने वाली टीम-
थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा सोशल मिडिया पर वायरल विडियो मे रिवाल्वर लहराने वाले अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त रिवाल्वर सहित किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 25.01.2023 को सोशल मिडिया के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा रिवाल्वर लहराते हुये रील सोशल मिडिया पर वायरल हुई जो कि थाना क्षेत्र खोडा की बताई गई जिसके सम्बन्ध मे थाना खोडा से इलेक्ट्रोनिक सर्वेलान्स एवं पतारसी सुरागरसी मे दक्ष अधिकारी/कर्मचारीयो की दो टीमे गठित की गई जिनके द्वारा क्षेत्र मे अपने मुखबिरान के माध्यम से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त रील मे रिवाल्वर लहराने वाला व्यक्ति रिहान पुत्र हाजी याकूब नि0 आरसी 273 राजीव बिहार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष है।

जिसके विषय मे पुलिस टीमो द्वारा उसके कार्यस्थल एवं निवास के स्थानो पर तलाश करने तथा नही मिलने पर पुलिस टीमो द्वारा अपने सूत्रो से सूचना प्राप्त की गई तथा सूचना के आधार पर रिहान उपरोक्त को खोडा गाँव टी पोईन्ट के पास से पकडा गया जिसके पास से विडियो मे दर्शित नाजायज शस्त्र रिवाल्वर बरामद हुआ। जो कि उसके द्वारा अपने पिता हाजी याकूव पुत्र फरियाद अली नि0 उपरोक्त का लाइसेन्सी शस्त्र होना बताया तथा कोई अनुज्ञप्ति पत्र दर्शित नही कर सका जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

रिहान पुत्र हाजी याकूब नि0 आरसी 273 राजीव बिहार खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. एक रिवाल्वर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरूद्ध थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना खोडा पुलिस टीम